

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया।

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

—द्वितीय क्रयादेश :—

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1137/आ० प्र०, दिनांक 24.04.2017 से प्राप्त निदेश के आलोक में संभावित बाढ़ 2017 की पूर्व तैयारी के मद्देनजर दिनांक-29.05.2017 एवं 31.05.2017 को सम्पन्न जिला क्रय समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार डी० जी० एस० एंड डी० से निबंधित एवं उसके मापदंड के अनुरूप 250 माईक्रोन, ISI-2508/1984 के अनुसार LDPE BLACK (4.00 मी० X 5.00 मी०) का पॉलीथीन शीट्स न्यूनतम दर वाली एजेन्सी बैग पॉली इन्टरनेशनल, प्रा० लि०, 95, के० एम० स्टोन, ग्राम-अलीपुर खल्सा रोड़, पो० बॉक्स-30, घरौन्दा, जिला-करनाल, (हरियाणा) से क्रय किये जाने की अनुशंसा प्राप्त है। उक्त अनुशंसा के आलोक में बैग पॉली इन्टरनेशनल, प्रा० लि०, 95, के० एम० स्टोन, ग्राम-अलीपुर खल्सा रोड़, पो० बॉक्स-30, घरौन्दा, जिला-करनाल, (हरियाणा) को निम्न प्रकार से द्वितीय आदेशित संख्या के अनुरूप पॉलीथीन शीट्स आपूर्ति किये जाने का आदेश दिया जाता है :

क्र०	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	आकार	निर्धारित दर	गुणवत्ता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	बैग पॉली इन्टरनेशनल, प्रा० लि०, 95, के० एम० स्टोन, ग्राम-अलीपुर खल्सा रोड़, पो० बॉक्स-30, घरौन्दा, जिला-करनाल, (हरियाणा)	पॉलीथीन शीट्स	10,000 (दस हजार पीस)	250 माईक्रोन	152.00/- रु० (एक सौ बावन रुपया प्रति किलो) (Excise duty & GST सहित)	250 माईक्रोन, ISI-2508/1984 के अनुसार LDPE BLACK (4.00 मी० X 5.00 मी०) डी० जी० एस० एंड डी० गुणवत्ता के अनुरूप

2. आपूर्तिकर्ता को आदेश दिया जाता है कि पॉलीथीन शीट्स की आपूर्ति DGS&D के मापदंड एवं गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति करनी होगी।
3. आपूर्ति की जाने वाली पॉलीथीन शीट्स DGS&D द्वारा निर्धारित ISI-2508/1984 के गुणवत्ता के अनुसार निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहिए तथा तत्संबंधी सत्यापन का प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ता फर्म को उपलब्ध करानी होगी। इसके बिना आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. आपूर्तिकर्ता को आदेशित सामग्री निर्गत आदेश पत्र की प्राप्ति तिथि से दो सप्ताह के अन्दर आपूर्ति करनी होगी। क्रयादेश का अनुपालन नहीं करने अथवा विफल होने की स्थिति में आपूर्ति आदेश निरस्त किया जा सकता है। आपूर्ति के लिए अलग से किसी प्रकार का परिवहन शुल्क एवं अग्रिम राशि देय नहीं होगा।
5. आपूर्ति की जाने वाली पॉलीथीन शीट्स की नमूने की जांच CIPET (Central Institute of Plastics Engineering of Technology), Hajipur से कराने के पश्चात ही सभी आवश्यक कर की कटौतियाँ के बाद भुगतान किया जायेगा। CIPET से गुणवत्ता की जांच पर व्यय आदेशित एजेन्सी के द्वारा वहन

किया जायेगा। अथवा जांच पर व्यय की कटौती कर भुगतान किया जायेगा। पॉलीथीन शीट्स ISI-2508/1984 के गुणवत्ता के अनुरूप निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहिए।

6. आपूर्ति आदेश प्राप्त करते समय उपरोक्त सभी आदेशित शर्तों का स्वीकार होने संबंधित शपथ पत्र समर्पित करना होगा।
7. किये गये कार्य का भुगतान जिला क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर पर आवंटन उपलब्ध रहने पर किये जायेगा।

हं/-
जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक... 242 / आ० प्र०, दिनांक... 12/11/17

प्रतिलिपि :- बैग पॉली इन्टरनेशनल, प्रा० लि०, 95, के० एम० स्टोन, ग्राम-अलीपुर, खल्सा, रोड़, पो० बॉक्स-30, घरौन्दा, जिला-करनाल, (हरियाणा) -132114 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- CIPET (Central Institute of Plastics Engineering of Technology). Hajipur को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस क्रयदेश को खगड़िया जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करन सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना एवं आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।